कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

टेण्डर-सूचना

1. जिला न्यायालय भवन परिसर में 1 वर्ष की अवधि हेतु केंटीन संचालन हेतु निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक विवरण
1.	कार्य का नाम	जिला न्यायालय भवन, बुरहानपुर में 1 वर्ष की अवधि हेतु केंटीन संचालन हेतु निविदा
2.	कार्य अवधि	1 वर्ष
3.	अर्नेस्ट राशि	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर के नाम से देय रू. 25,000/- का ड्राफ्ट।
4.	न्यूनतम ऑफसेट प्रीमियम राशि (प्रतिमाह)	रूपये- 5,000/-
5.	एफ.डी.आर./सुरक्षा निधि/ परफार्मेंस ग्यारंटी	रूपये- 1,00,000/-
6.	निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि	26.09.2019 को सांय 5.00 बजे तक
7.	निविदा खोलने की तिथि व समय	27.09.2019 सांय 5.00 बजे
8.	निविदा खोलने का स्थान	जिला न्यायालय, बुरहानपुर के प्रथम तल पर स्थित सभाकक्ष

2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.in एवं जिला न्यायालय बुरहानपुर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/burhanpur पर उपलब्ध निविदा फार्म की प्रति डाउनलोड की जावेगी। उपरोक्त वेबसाईट पर प्रकाशित निविदा प्रलेख की सभी शर्तें बंधनकारी होगी और उनका पालन करना निविदाकर्ता के लिये अनिवार्य होगा।

3 निविदाकर्ता को नियत प्रारूप पर टेण्डर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर को संबोधित करते हुये सीलबंद लिफाफे में दिनांक 26-09-2019 को सांय 5:00 बजे तक पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायालय बुरहानपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. सभी निविदाकर्ता फार्म के साथ अपना आपराधिक रिकार्ड न होने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। सफल निविदाकर्ता का चरित्र सत्यापन पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर से कराया जाएगा, जिसमें उसका आपराधिक रिकार्ड पाये जाने पर निविदा निरस्त की जावेगी।

5. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा।

6. निविदाकर्ता द्वारा अर्नेस्ट मनी राशि रूपये 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट सीलबंद लिफाफे में निविदा फार्म के साथ ही, अंतिम तारीख तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य होगा। निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध-पत्र निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी बिना सूचना के जप्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि की वसूली भी की जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत वांछित दस्तावेज एवं अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट संलग्न न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

7. केंटीन संचालन हेतु बतौर सुरक्षा निधि, रू. 1,00,000/- की एफ.डी.आर., जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिये, आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी। निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत उक्त एफ.डी.आर. की राशि, उस समय के मूल्यानुसार निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

8. निविदाएं दिनांक 27-09-2019 को सांय 5.00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष या उनकी ओर से उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष जिला न्यायालय, बुरहानपुर के प्रथम तल पर स्थित सभाकक्ष में खोली जायेगी।

9. जिस निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा में अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क अंकित किया जावेगा उसकी निविदा स्वीकृति योग्य होगी तथा प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। केंटीन संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी, जिसकी सूचना जिला न्यायालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)

<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)</u>

<u>जिला न्यायालय भवन, मोहम्मदपुरा बुरहानपुर में केंटीन संचालन करने हेतु</u>

<u>निविदा प्रलेख</u>

जिला न्यायालय भवन, बुरहानपुर की सर्विस बिल्डिंग में निर्मित कैंटीन कक्ष में एक वर्ष की अवधि के लिये केंटीन संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि <u>दिनांक 26-09-2019</u> निर्धारित की गई है। प्राप्त निविदायें <u>दिनांक 27-09-2019 को सांय 5:00 बजे</u> न्यायालय भवन के <u>प्रथम मंजिल पर स्थित कांफ्रेंस हॉल</u> में निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी और निविदा में बताई गई दरें बोली जाऐंगी।

केंटीन संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

<u>विवरण एवं शर्तें</u>

1. केन्टीन संचालन हेतु निविदा आवेदन निविदाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति की समस्त शर्तों का पालन करते हुये निविदा फार्म संलग्न प्रारूप में भरकर, <u>सीलबंद लिफाफे में</u> रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर निविदा तिथि के अंतिम दिन तक आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सभी निविदाकर्ता फार्म के साथ अपना आपराधिक रिकार्ड न होने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। सफल निविदाकर्ता का चरित्र सत्यापन पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर से कराया जाएगा, जिसमें उसका आपराधिक रिकार्ड पाये जाने पर निविदा निरस्त की जावेगी।
3. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा।
4. केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता द्वारा अर्नेस्ट मनी राशि रूपये 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट सीलबंद लिफाफे में निविदा फार्म के साथ ही, अंतिम तारीख तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य होगा। निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध-पत्र निष्पादित न करने की दशा में <u>अर्नेस्ट मनी</u> बिना सूचना के जप्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि की वसूली भी की जाएगी।
5. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत वांछित दस्तावेज एवं अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट संलग्न न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. केंटीन संचालन हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि की न्यूनतम दर रू. 5,000/- प्रतिमाह होगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा में अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क अंकित किया जावेगा उसकी निविदा स्वीकृति योग्य होगी तथा प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। केंटीन संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी, जिसकी सूचना जिला न्यायालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

7. केंटीन संचालन हेतु बतौर सुरक्षा निधि, रू. 1,00,000/- की एफ.डी.आर., जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिये, आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी। केंटीन रिक्त करने के उपरांत उक्त एफ.डी.आर. की राशि, उस समय के मूल्यानुसार निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

8. सफल निविदाकर्ता को केंटीन संचालन हेतु निविदा प्रारंभ होते ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर के हक में एक माह की प्रीमियम राशि तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। आगामी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान प्रत्येक माह में 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रीमियम राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर केंटीन का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त किया जा सकेगा।

9. मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। केंटीन संचालक को, प्रीमियम राशि नियत समयावधि में जमा न कराने की स्थिति में प्रतिदिन रूपये 100/- की दर से विलंब शुल्क सहित, बकाया प्रीमियम देना होगा।

10. सफल निविदाकर्ता, केंटीन संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेगा, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति एवं न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।

11. केंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रात: 10:00 से सांय 6:30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाएगा।

12. केंटीन संचालन के दौरान, आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं की जावेगी।

13. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य साम्रगी विक्रय की दर जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त समिति से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य साम्रगी विक्रय की जावेगी।

14. केंटीन संचालक को खाद्यान्न सामग्री की सूची; मानक, मात्रा व मूल्य सहित (जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त समीति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करना आवश्यक है।

15. केंटीन संचालन हेतु आवंटित कक्ष को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखने का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।

16. कैंटीन हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा।

17. प्रतिष्ठान का पंजीयन विधि अनुसार, दुकान संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

18. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं की जावेगी, जिससे शासकीय संपत्ति को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिष्टी कारित होती हो।

19. केंटीन संचालक को विद्युत व्यय का भुगतान संबंधित विभाग को स्वयं करना होगा और विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

20. केंटीन संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक को नियोजित करना होंगे। नियोजित कर्मचारियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान-पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा केंटीन संचालन अवधि में धारित किये रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

21. केंटीन संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही होने तक, उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान केंटीन संचालक को केंटीन का संचालन करना होगा।

22. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नही पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

23. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 07 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुए उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध-पत्र निष्पादित करना होगा। साथ ही निविदा स्वीकार करके अनुज्ञा दिए जाने के उपरांत 15 दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी।

24. निविदाकर्ता द्वारा केंटीन छोड़ने की सूचना 02 माह पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, यदि उसके द्वारा ऐसी सूचना दी जाती है तो अनुबंध की शेष अवधि की प्रीमियम राशि को काटकर सुरक्षा निधि बिना पेनाल्टी के वापस कर दी जाएगी।

25. यदि निविदाकर्ता के द्वारा अनुबंध अवधि के अंतर्गत बिना सूचना के कार्य बंद किया जाता है या कार्य छोड़ा जाता है तो संपूर्ण निधि को जप्त कर लिया जाएगा और उस पर पेनाल्टी भी अधिरोपित की जा सकेगी।

26. केंटीन संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण तथा निविदाकर्ता द्वारा केंटीन का संचालन निर्धारित 02 माह की सूचना देकर छोड़ने पर अथवा बिना सूचना दिये छोड़ने के संबंध में सुरक्षा निधि की जप्ती एवं पेनाल्टी बाबत् निराकरण जिला एवं सत्र न्यायालय महोदय बुरहानपुर व्दारा नियुक्त समिति व्दारा किया जाएगा एवं समिति के निर्णय के विरूद्ध अंतिम निराकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर के द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं सभी पर बंधनकारी होगा।

27. जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर को यह अधिकार होगा कि केंटीन संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में केंटीन का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि केंटीन संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें। इस संबंध में जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

28. केंटीन संचालक द्वारा केंटीन कक्ष में किसी भी अवैधानिक सामग्री, पान गुटखा, तम्बाखू, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का विक्रय नहीं किया जावेगा।

29. केंटीन संचालक को केंटीन कक्ष में अग्नि शमन यंत्र स्थापित करना आवश्यक होगा।

30. केंटीन संचालक को पेयजल एवं फर्नीचर की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी।

31. स्थानीय प्राधिकारी के कर, जो केंटीन संचालन हेतु दिये जाना आवश्यक हों, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

32. केंटीन संचालक को कैंटीन में शिकायत पुस्तिका रखना होगी। उक्त शिकायत पुस्तिका का अवलोकन कमेटी के सदस्यों को अथवा जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को करने का अधिकार होगा।

33. जिला न्यायाधीश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर केन्टीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

34. निविदाकर्ता द्वारा केन्टीन का संचालन लोक अदालत के विशेष अवसर पर आवश्यक रूप से किया जाएगा।

35. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से केन्टीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा जिला न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा 100 रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

36. सफल निविदाकर्ता द्वारा केन्टीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत आदि का कार्य समय समय पर किया जावेगा।

37. केंटीन संचालक केन्टीन में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं करेगा तथा सभी सुसंगत विधियों जैसे श्रम खाद्य विधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

38. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

39. केंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में जिला न्यायालय बुरहानपुर का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

40. जिला न्यायालय परिसर में पूर्व से ही केंटीन कक्ष (51"x20"), किचन कक्ष (10"x10") तथा पेन्ट्री कक्ष (10"x10") बना हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल **61" x 20" = 1220 वर्गफीट** है।

मध्यस्थता :-

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार या विवाद के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं और विवादों को रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ प्राधिकरण को संदर्भित किया जा सकेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)

<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)</u>

जिला न्यायालय भवन बुरहानपुर में 1 वर्ष की अवधि हेतु केंटीन संचालन हेतु निविदा

<u>निविदा-फार्म</u>

1.	निविदाकर्ता का नाम	
2.	निविदाकर्ता का पता	
3.	फर्म की प्रकृति/पार्टी (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)	प्रोप्रायटरशीप/पार्टनरशीप/प्रायवेट लिमिटेड/ पब्लिक
4.	प्रोप्रायटर का नाम/ मैनेजिंग पार्टनर/ मैनेजिंग डायरेक्टर	
5.	कांटेक्ट डिटेल	फोन – मोबाईल - ई-मेल -
6.	पेन कार्ड नं./आधार कार्ड/वोटर आई.डी. (कोई भी एक)	
7.	ड्राफ्ट विवरण	1. राशि – **25,000/-** 2. जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक- 3. जारी करने वाली बैंक का नाम-

8. अनुभव विवरण (यदि कोई हो तो संलग्न किया जावें)

क्र.	संस्था/विभाग का नाम जहाँ पर केंटीन संचालित है/था।	अनुबंध की अवधि	उक्त संस्था शासकीय/ स्वशासी/प्रायवेट	कार्य किये जाने का संतुष्टि प्रतिवेदन हाँ/नहीं

9. केंटीन हेतु प्रीमियम राशि की दर (प्रस्तावित दर पर ट्रांसपेरेंट टेप चिपकाया जावे)-

विवरण	निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक विवरण
नवीन जिला न्यायालय भवन बुरहानपुर में सर्विस बिल्डिंग में केंटीन संचालित किए जाने हेतु प्रतिमाह दिए जाने वाले प्रीमियम राशि की प्रस्तावित दर	1. अंको में – 2. शब्दों में -

11. निविदाकर्ता का आपराधिक रिकार्ड न होने का शपथ-पत्र संलग्न किया जावे।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

जिला न्यायालय भवन बुरहानपुर में 1 वर्ष की अवधि हेतु केंटीन संचालन हेतु निविदा

चेक लिस्ट

निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण-

क्र.	विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	अर्नेस्ट मनी डिपाजिट का ड्राफ्ट	
2.	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर	
3.	निविदाकर्ता के निवास के संबंध में प्रमाण-पत्र	
4.	पेनकार्ड/आधारकार्ड/वोटर आई.डी. की सत्यापित छायाप्रति	
5.	अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (यदि कोई हो)	
6.	नियत प्रारूप पर निविदा	
7.	आपराधिक रिकार्ड न होने का शपथ-पत्र	

स्थान - (निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक - नाम कंपनी सील